



पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा, नया रायपुर (छ.ग.)
(पूर्व नाम— छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)
(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष / फ़ैक्स: 07712263234
ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/ 13 / D.U.H.S./गोप./2018

रायपुर, दिनांक 02/01/2018

//अधिसूचना//

अनुचित साधन समिति की बैठक दिनांक 20.12.2018 के निर्णयानुसार – निम्नलिखित अनुचित साधन प्रकरण रेगुलेशन 10 के कंडिका 2 की श्रेणी में दंड योग्य है। इन्हें “Not allowed to appear for the entire examination of that year (Cancellation of examination).” से दंडित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
15010834	एम.बी.बी.एस.द्वितीय वर्ष सितं. 2018 (Pathology-II)	दर्शन पट्टा	सी.एम.मेडिकल कालेज, कचांदुर, दुर्ग	शासकीय वी.वाई.टी. महाविद्यालय, दुर्ग

आदेशानुसार


कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 02/01/2018

पृ. क्रमांक/ 14 / D.U.H.S./गोप./2018
प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों को द्वारा प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा/अकादमिक शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।


कुलसचिव